@shahjahanpurpol

प्रेस नोटः- सराहनीय कार्य 24/02/2023

थाना तिलहर पुलिस की अपराधी के विरुद्ध बडी कार्यवाही

दिनांक 07.02.2023 को चीनी मिल ग्राउण्ड थाना तिलहर में खेतीय किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष सुधीर चौहान एवं उनके समर्थको द्वारा महापंचायत के दौरान अपनी गलत माँगो को लेकर कछियानी खेडा मन्दिर की तरफ कूच करने व अराजकता फैलाने व लोक व्यवस्था छिन्न-भिन्न करने, पुलिस प्रशासन पर पथराव करने के मुख्य आरोपी सुधीर चौहान के विरुद्ध राष्ट्रीय सुक्षा अधिनियम (NSA) के अन्तर्गत कार्यवाही

दिनांक 07.02.2023 को खेतीय किसान मजदूर संगठन (अराजकता) के अध्यक्ष सुधीर चौहान पुत्र रामबाबू नि0ग्रा0 हसनापुर थाना खुदागंज जनपद शाहजहाँपुर के द्वारा चीनी मिल प्रांगण में करीब 400-500 व्यक्तियो की भीड़ के साथ अपनी गलत माँगो कि कच्छियानी खेडा मन्दिर को राष्ट्रीय राजमार्ग से न हटाने व आवारा गौवंशीय पशुओ के व्यवस्थापन हेतु गौशाला निर्माण के सम्बन्ध में आयोजन किया गया था। उपरोक्त संगठन के स्वयंम्भू (मुख्या) सुधीर सिंह चौहान के द्वारा मौके पर आम जनमानस की धार्मिक भावनाओ को भडकाकर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी/कर्मचारीयो व सामान्य जन को भयभीत व आतंकित करने का प्रयास किया था जिसकी पुलिस व प्रशासनिक अधिकारीयो (श्रीमान क्षेत्राधिकारी तिलहर व श्रीमान उप-जिलाधिकारी आदि) द्वारा उसकी माँगो का निस्तारण करने हेतु मंच से एकत्रित आम जनमानस को अगत कराया था परन्तु सुधीर चौहान द्वारा अराजकता की पूरी योजना तैयार कर पूरे थाना तिलहर क्षेत्र में अफरा-तफरी , भय व आतंक का वातावरण पैदा कर दिया जिससे लोक व्यवस्था का पूर्णतः अनुरक्षण भंग हो गया था। सुधीर चौहान व उसके समर्थको (भीड़) द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस व प्रशासन के अधिकारियो , कर्मचारीयो व उनके वाहनो में लाठी, डण्डे व पत्थरो से हमला किया था जिससे कई पुलिस के जन गम्भीर रुप से घायल हुए थे तथा कई पुलिस व प्रशासन के वाहन क्षतिग्रस्त हुए थे तथा रेलवे ट्रेक जाम करने की कोशिश की थी। सुधीर चौहान व उनके अराजक समर्थको (भीड़) के द्वारा किये गये इस कृत्य के सम्बन्ध में प्रभारी निरीक्षक तिलहर श्री राजकुमार शर्मा द्वारा दिनांक 07.02.2023 को मु0अ0सं0 102/23 धारा 147/148/149/186/295A/307/332/334/353/427/504/506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट व 3/4

सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधि0 पंजीकृत किया गया था तथा मौके से सुधीर चौहान खेतीय किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष व उनके समर्थको सहित 12 लोगो को गिरफ्तार कर जिला कारागार में निरुद्ध किया था तथा 35 व्यक्ति नामित व 100-150 आदमी अज्ञात को नामजद किया था।

सुधीर चौहान खेतीय किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष द्वारा किये गये उक्त कृत्य के दृष्टिगत इसके विरुद्ध श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट जनपद शाहजहाँपुर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत निरुद्ध करने हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गई थी जिसके क्रम में **जिला मजिस्ट्रेट जनपद शाहजहाँपुर महोदय द्वारा आज दिनांक 23.02.2023 को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 की उपधारा 3 द्वारा प्रधिकृत अधिकारो का प्रयोग करके राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के अन्तर्गत निरुद्ध किया गया है।** सुधीर कुमार चौहान वर्तमान में जिला कारागार में निरुद्ध है।

➢ **सुधीर कुमार चौहान का आपराधिक इतिहास –**

1. मु0अ0सं0 395/22 धारा 353/504 भादवि थाना खुदागंज जनपद शाहजहाँपुर
2. मु0अ0सं0 710/16 धारा 342/364/441/504/506 भादवि व 3(2)V SC/ST ACT थाना खुदागंज जनपद शाहजहाँपुर
3. मु0अ0सं0 710/16 धारा 323/376D/452/504/506 भादवि व 3(2)V SC/ST ACT थाना खुदागंज जनपद शाहजहाँपुर
4. मु0अ0सं0 614/22 धारा 147/353/427 भादवि व 2/3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
5. मु0अ0सं0 737/22 धारा 147/353/504/506 भादवि थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
6. मु0अ0सं0 102/2023 धारा 147/148/149/186/295A/307/332/334/353/427/504/506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट व 3/4 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधि0 थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर